

हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त विभाग

**Government of Himachal Pradesh
Finance Department**

व्याख्यात्मक विवरण
बजट 2022–2023

**EXPLANATORY MEMORANDUM
BUDGET 2022-2023**

(हिमाचल प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत)
(Presented to the Himachal Pradesh Legislative Assembly)

04 मार्च, 2022
04th March, 2022

विषय सूची

I.	बजट से अभिप्राय	2—8
II.	बजट को समझने के लिए मुख्य संकेतक (तालिका—I)	9
III.	कर (Tax) और करेतर (Non-Tax) राजस्व का विश्लेषण (तालिका—II)	10
IV.	व्यय का विश्लेषण (तालिका—III)	11
V.	विकासात्मक बजट का सैकटोरल विभाजन (तालिका—IV)	12
VI.	राज्य सरकार के ऋण दायित्व (तालिका—V)	13—14
VII.	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों (Guarantees) का विवरण (तालिका—VI)	15
VIII.	मुख्य शीर्षवार एवं मांग संख्यावार बजट के प्रावधान	16—32

बजट से अभिप्राय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, राज्य की अनुमानित आय और व्यय की विवरणिका को राज्य विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। प्रथा के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेज़ बजट सेट का भाग बनते हैं:—

1. मुख्य मन्त्री का बजट भाषण।
2. वार्षिक वित्तीय विवरणिका अथवा बजट।
3. आय के अनुमान।
4. अनुदान मांगों सहित नव व्यय की अनुसूची।
5. बजट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।
6. नव व्यय परिशिष्ट की अनुसूची।
7. संक्षिप्त बजट।
8. हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के अधीन विवरण।
9. हिमाचल प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण।
10. सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों बारे रिपोर्ट।

2. वार्षिक वित्तीय विवरणिका अथवा "बजट"

विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय की विवरणिका को "वार्षिक वित्तीय विवरणिका" अथवा "बजट" कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरणिका, आगामी 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होने वाले राज्य के आय और व्यय के अनुमानों का विवरण दर्शाती है। वार्षिक वित्तीय विवरणिका में बजट अनुमानों को मुख्य शीर्ष (Major Head)* के अनुसार दर्शाया जाता है। राजस्व और पूंजीगत लेखे अलग-अलग दर्शाए जाते हैं। राज्य की संचित निधि से "दत्तमत" (Voted) तथा "प्रभारित" (Charged) व्ययों को भी अनुदान मांगों (Demand for Grants)** में अलग-अलग दर्शाया जाता है।

मुख्य शीर्ष (Major Head)*: "Major Head" means a Head of Account for the purpose of recording and classifying receipts and disbursements of the State.

अनुदान मांगों (Demand for Grants)**: "Demand for Grants" is a proposal made to the Legislature on the recommendation of the Governor for appropriation out of Consolidated fund of the State, for expenditure other than Charged. (Vide Article 203 of the Constitution).

संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसार "प्रभारित" व्ययों पर विधान सभा में वोटिंग नहीं हो सकती। यद्यपि विधान सभा प्रभारित व्ययों पर चर्चा कर सकती है। राज्यपाल के सचिवालय, उच्च न्यायालय तथा विधान सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष "प्रभारित" व्यय के कुछ उदाहरण हैं। वार्षिक वित्तीय विवरणिका में मुख्य शीर्षानुसार बजट आबंटन का ब्यौरा भी होता है। वार्षिक वित्तीय विवरणिका सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों के लेखों को निम्न तीन भागों में दर्शाती है, जिनमें कि सरकारी लेखे रखे जाते हैं:—

- (क) संचित निधि।
- (ख) आकस्मिक निधि।
- (ग) लोक लेखा।

(क) संचित निधि (Consolidated Fund)

सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार की आय, इसके द्वारा उठाया गया ऋण और सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली से आय "संचित निधि" कहलाती है। सरकार का सारा व्यय संचित निधि से किया जाता है। विधान सभा की स्वीकृति के बिना संचित निधि से कोई भी राशि निकाली नहीं जा सकती।

(ख) आकस्मिक निधि (Contingency Fund)

जैसा कि नाम से ही विदित है, यह निधि किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए सरकार के अधीन रखी जाती है और इस निधि से व्यय की स्वीकृति विधान सभा से बाद में ली जाती है।

(ग) लोक लेखा (Public Account)

संचित निधि की आय और इससे व्यय के अतिरिक्त कुछ अन्य लेन-देन के इन्द्राज भी सरकारी लेखों में आते हैं। उदाहरणार्थ भविष्य निधि, कर्मचारी समूह बीमा और बचत निधि तथा इस निधि में जमा की गई अन्य राशियों का लेन-देन आदि। इस प्रकार की सभी प्राप्तियों को लोक लेखा में रखा जाता है। लोक लेखा में रखी गई राशियों के लिए सरकार साहूकार (Banker) के रूप में कार्य करती है। यह राशि साधारणतः सरकार की नहीं होती है और किसी भी समय इसे उन लोगों या प्राधिकार को वापिस करना होता है जिन्होंने इन राशियों को जमा करवाया होता है। अतः लोक

लेखा से भुगतान के लिए विधान सभा से स्वीकृति अपेक्षित नहीं होती। "लोक लेखा" में रखी गई राशि मात्र "वार्षिक वित्तीय विवरणिका" में ही परिलक्षित होती है।

3. मुख्य मन्त्री का बजट भाषण

मुख्य मन्त्री का बजट भाषण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं व बजट पर वक्तव्य होता है।

4. आय के अनुमान

"वार्षिक वित्तीय विवरणिका" में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के अनुमानों का सार होता है। "आय के अनुमान" का दस्तावेज़ विस्तार से विभागवार, योजनावार आय का ब्यौरा दर्शाता है। इस दस्तावेज़ में राज्य के विगत वर्ष के वास्तविक, चालू वर्ष के बजट एवं संशोधित तथा आगामी वर्ष के बजट में विभिन्न स्त्रोतों से आय का ब्यौरा होता है जिनसे प्राप्तियों के स्वरूप व बदलावों को समझने में सहायता भी मिलती है।

5. राज्य की प्राप्तियों के स्त्रोत

राज्य की आय/प्राप्तियों के स्त्रोतः (1) राज्य का कर राजस्व, (2) राज्य का गैर-कर राजस्व, (3) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा, (4) वित्तायोग के हस्तान्तरण, (5) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (CSS) के हस्तान्तरण तथा (6) ऋण हैं। राज्य के कर राजस्व के मुख्य स्त्रोत स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वस्तु और सेवाओं पर कर, वस्तुओं पर VAT, वाहन कर, माल और यात्री कर, विद्युत कर तथा शुल्क तथा कुछ अन्य कर होते हैं। राज्य के अपने गैर-कर राजस्व के स्त्रोत विद्युत विक्रय, लाभांश, खनन तथा खनिजों पर रॉयल्टी, वनों से आय व अन्य गैर-कर राजस्व जैसे विभिन्न सेवाओं पर शुल्क होते हैं। राज्य के अपने करों तथा गैर-कर राजस्व से आय को "राज्य का अपना राजस्व" कहा जाता है।

राज्य को अपने राजस्व के अतिरिक्त वित्तायोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार से राज्य का केन्द्रीय करों में हिस्सा, राजस्व घाटे के लिए अनुदान, राज्य आपदा राहत कोष तथा स्थानीय निकायों के अनुदान के रूप में राशियां प्राप्त होती हैं। राज्य को केन्द्र से केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं/केन्द्रीय सैकटर परियोजनाओं के लिए भी धन प्राप्त होता है। यह सभी राशियां संचित निधि में जमा होती हैं। साथ ही

राज्य सरकार प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार की अनुमति के उपरान्त भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ऋण उठा सकती है। लेकिन यह ऋण भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होता है। यह ऋण राज्य की संचित निधि का हिस्सा बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार का बैंकर है। अतः राज्य सरकार आवश्यकतानुसार कम अवधि के लिए, प्राप्तियों तथा व्यय में असंतुलन की अवस्था में, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण उठाती है। ऐसे ऋण को Ways and Means Advance कहा जाता है।

6. अनुदान मांगें नव व्यय की अनुसूची सहित

अनुदान मांग प्रभारित (Charged) व्यय के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए विनियोजन (appropriation) हेतु, अनुच्छेद 203 के अंतर्गत राज्यपाल की संस्तुति पर, विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव है। वार्षिक वित्तीय विवरणिका में सम्मिलित व्यय के अनुमानों को इसी प्रारूप में विधान सभा में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। राज्य के सभी विभागों का प्रभारित (Charged) व्यय अनुदान मांगों में सम्मिलित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के बजट में 32 अनुदान मांगों हैं। प्रत्येक अनुदान मांग में विशेष स्कीमों हेतु निधियों की मांग विवरणिका के अतिरिक्त स्कीमवार स्वीकृत पदों की सूची भी सम्मिलित होती है। केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से योजना और गैर-योजना बजट के वर्गीकरण को समाप्त किया गया है।

7. अनुपूरक अनुदान मांगें

बजट में व्यय का अनुमान वित्तीय वर्ष से पहले किया गया एक आकलन ही होता है। तथापि किसी लेखा शीर्ष में, “नई योजना” के कारण जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरणिका में प्रावधान न किया गया हो या फिर आबंटित बजट वर्ष के दौरान अपर्याप्त पाया जाए, व्यय मूलतः प्रत्याशित व्यय से अधिक हो सकता है। इस अतिरिक्त/अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान मांगों के रूप में विधान सभा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

8. सरकार के व्यय का वर्गीकरण

व्यय को राजस्व व्यय अथवा पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है।

(क) राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सामान्यतः तात्कालिक तथा प्रतिबद्ध होता है। राजस्व व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा वेतन, पैशन, ब्याज अदायगी, रख-रखाव व उपदानों पर व्यय होता है।

(ख) पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों पर भी किया जाता है।

9. राजस्व अधिशेष/घाटा

यदि राज्य की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से अधिक हो तो राजस्व अधिशेष की स्थिति रहती है और यदि राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम हो तो राजस्व घाटे की स्थिति बनती है।

10. राजकोषीय अधिशेष/घाटा

यदि राज्य की गैर ऋण आय राज्य के गैर ऋण व्यय से अधिक हो तो राजकोषीय अधिशेष की स्थिति रहती है और यदि राज्य की गैर ऋण आय राज्य के गैर ऋण व्यय से कम हो तो राजकोषीय घाटे की स्थिति बनती है।

11. बजट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन

व्याख्यात्मक ज्ञापन में राज्य की वित्तीय स्थिति के आकलन हेतु समेकित सूचना होती है। इसमें बजट के विभिन्न आयामों की सूक्ष्म रूप में विवेचना होती है। तालिका-I में राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय और राजस्व तथा राजकोषीय अधिशेष या घाटे की सूचना होती है। तालिका-II में कर तथा गैर कर की सकल राजस्व प्राप्तियों तथा इनके विभिन्न अवयवों का व्यौरा होता है। इस तालिका

से कर तथा गैर-कर राजस्व के अवयवों की वृद्धि दरों तथा उनके राजस्व प्राप्तियों में योगदान का पता चलता है। तालिका-III में मानकवार खर्चों का (SOEwise)*** का विश्लेषण है। तालिका-IV में विकासात्मक बजट का सैकटोरल विभाजन, तालिका-V में सरकार के ऋण दायित्व का विवरण और तालिका-VI में सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण है।

12. नव व्यय की अनुसूची परिशिष्ट

इस दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची होती है। कार्यों की सूची स्कीमवार प्रारम्भिक वित्तीय आबंटन सहित दी जाती है। लगातार जारी रहने वाली स्कीमों के मामले में अनुमानित खर्च का विवरण, स्वीकृत वर्ष आदि दर्शाए जाते हैं।

13. संक्षेप में बजट

"संक्षेप में बजट" नामक दस्तावेज़ साधारण भाषा में बजट के विभिन्न आयामों को आंकड़ों तथा बार चार्ट के माध्यम से दर्शाता है। यह दस्तावेज़ राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों और व्ययों को अलग-अलग दर्शाता है। लोक ऋण, प्रति व्यक्ति राजस्व तथा प्रति व्यक्ति व्यय के तीन वर्षों के आंकड़े भी इस दस्तावेज़ में दर्शाए जाते हैं। इस दस्तावेज़ में सारा डेटा विगत वर्ष के वास्तविक, चालू वर्ष के बजट व संशोधित तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान का होता है। इसी तरह लोक ऋण, प्रति व्यक्ति राजस्व तथा प्रति व्यक्ति व्यय के तीन वर्षों के आंकड़े भी इस दस्तावेज़ में दर्शाए जाते हैं।

*** Standard Object of Expenditure (SOE) is a classification of aggregate expenditure in all "Major Heads" on items like Salary, Wages, Pension, Interest, Major Works, Minor Works and Publication etc.

14. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2005 के अंतर्गत प्रपत्र

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2005 के अंतर्गत विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले इस दस्तावेज में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की अनुपालना की स्थिति होती है। इसके अलावा इसमें 4 प्ररूपों में सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। प्ररूप-1 में मध्य अवधि की राजकोषीय योजना का विवरण, प्ररूप-2 में राज्य सरकार की लेखा नीति तथा प्रक्रिया का वर्णन, प्ररूप-3 में राज्य सरकार के दीर्घकालिक दायित्व पर राज्य सरकार की प्रत्याभूतियों का विवरण है। प्ररूप-4 में कर्मचारियों की संख्या दर्शाई जाती है। यह दस्तावेज राजकोषीय प्रबन्धन में पारदर्शिता दर्शाता है।

15. आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक सर्वेक्षण में वर्तमान वित्तीय वर्ष पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण और डेटा शामिल होता है। इसमें संक्षेप में मौजूदा राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य का उल्लेख होता है। साथ ही राज्य आय और लोक वित्त, भाव संचलन, खाद्यान्न उत्पादन, जल स्त्रोत प्रबंधन, उद्योग एवं खनन, विद्युत इत्यादि में राज्य के आर्थिक परिदृश्य का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। वर्तमान में यह विधान सभा में बजट पेश करने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

16. सरकारी वाणिज्यिक उपक्रम बारे रिपोर्ट

इस दस्तावेज में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची के साथ-साथ बजट प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष का अद्यतन तुलन पत्र (Latest Balance Sheet) और लाभ एवं हानि खातों का संक्षिप्त वर्णन किया होता है। इसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रदर्शन का भी संक्षेप में वर्णन होता है।

इनके अलावा Gender Budget Statement भी बजट के साथ प्रस्तुत की गई है।

तालिका-I

II. बजट को समझने के लिए मुख्य संकेतक				
(₹ करोड़ों में)				
		वार्षिक 2020-21	बजट अनुमान 2021-22	बजट अनुमान 2022-23
क.	राजस्व प्राप्तियां			
	(i) राज्य प्राप्तियां	10266.27	12035.87	13650.60
	(ii) केन्द्रीय प्राप्तियां (including Central Taxes) of which	19497.72	21223.08	19328.79
	(a) केन्द्रीय करों में हिस्सा	4753.92	5524.16	6778.19
	(b) केन्द्रीय हस्तांतरण	14743.80	15698.92	12550.60
	(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अनुदान (excluding CSS Loans)	3674.29	3768.99	3395.92
	योग (राजस्व प्राप्तियां)	33438.27	37027.94	36375.31
ख.	राजस्व व्यय			
	राजस्व व्यय <i>of which</i>	33534.93	38490.88	40278.80
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	2213.11	2576.30	2609.04
	योग राजस्व व्यय	33534.93	38490.88	40278.80
	निवल (राजस्व घाटा/ लाभ)*	-96.66	-1462.94	-3903.49
ग.	पूंजीगत प्राप्तियां			
	(i) सकल ऋण (excluding W&M / overdraft but includes net PF receipts)	9990.24	11080.51	11880.02
	(ii) ऋणों की वसूलियां	23.02	41.06	45.09
	(iii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.88	0.00	0.00
	योग (पूंजीगत प्राप्तियां)	10016.14	11121.57	11925.10
घ.	पूंजीगत व्यय			
	(i) ऋणों की अदायगियां	3396.57	3333.51	3342.02
	(ii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	1751.78	1192.73	787.64
	(iii) अन्य	3877.55	5174.51	4956.30
	योग पूंजीगत व्यय	9025.89	9700.75	9085.96
	राजकोषीय अधिशेष / घाटा*	-5700.09	-7789.12	-9602.35

*अधिशेष(+)/ घाटा(-)

तालिका-II

III. राज्य के कर एवं करेतर राजस्व का विश्लेषण

इनके अंतर्गत विभिन्न मदों की वृद्धि दर और कुल राजस्व में इनके अंश से समझा जाना महत्वपूर्ण है।

कर राजस्व के भाग (राज्य के अपने स्त्रोतों से)

(₹ करोड़ों में)

	वास्तविक 2020-21	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2021-22	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2022-23	कुल का प्रतिशत
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	3466.58	42.89	4141.66	44.62	5129.79	47.14
भू-राजस्व	6.95	0.09	22.65	0.24	23.06	0.21
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	253.36	3.13	310.59	3.35	399.25	3.67
राज्य उत्पाद शुल्क	1599.74	19.79	1867.90	20.12	2130.96	19.58
मूल्य वर्धित कर (वैट)	1630.11	20.17	1643.47	17.71	1810.00	16.63
वाहन कर	380.20	4.70	487.72	5.25	512.11	4.71
माल तथा यात्री कर	83.55	1.03	88.38	0.95	112.69	1.04
विद्युत कर	401.76	4.97	431.02	4.64	403.33	3.71
अन्य कर	261.07	3.23	288.84	3.11	360.20	3.31
कुल कर राजस्व	8083.31	100.00	9282.22	100.00	10881.39	100.00

करेतर राजस्व के भाग (राज्य के अपने स्त्रोतों से)

(₹ करोड़ों में)

	वास्तविक 2020-21	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2021-22	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2022-23	कुल का प्रतिशत
विद्युत	749.12	34.32	1017.00	36.93	1165.83	42.10
वानिकी	49.56	2.27	90.30	3.28	94.82	3.42
खनन एवं खनिज	252.16	11.55	218.14	7.92	240.80	8.70
अन्य	1132.11	51.86	1428.20	51.87	1267.76	45.78
कुल करेतर राजस्व	2182.95	100.00	2753.65	100.00	2769.21	100.00

तालिका-III

IV. व्यय का विश्लेषण

राज्य के व्यय का मानकवार का विवरण कुल व्यय में प्रत्येक मानक के प्रतिशत हिस्से सहित नीचे दर्शाया गया है:

कुल व्यय में प्रतिशतता के रूप में मानकवार व्यय का विवरण

(₹ करोड़ों में)

		वास्तविक 2020–21	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2021–22	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2022–23	कुल का प्रतिशत
क.	मानकवार विवरण	45735.22	90.92	45156.45	89.97	46269.38	90.08
1.	वेतन	10390.57	20.66	12704.14	25.31	13297.03	25.89
2.	मज़दूरी	252.93	0.50	212.31	0.42	205.80	0.40
3.	सहायता अनुदान (वेतन)	1507.74	3.00	1486.66	2.96	1661.17	3.23
4.	सहायता अनुदान (अवेतन)	2015.70	4.01	2020.83	4.03	2068.84	4.03
5.	सहायता अनुदान (पूंजी परिसम्पत्तियाँ)	1039.67	2.07	805.71	1.61	886.16	1.73
6.	पैशन	6088.39	12.10	7082.00	14.11	7790.20	15.17
7.	ब्याज	4472.45	8.89	5017.57	10.00	5104.64	9.94
8.	रख रखाव	2128.75	4.23	3169.36	6.31	3009.59	5.86
9.	मुख्य निर्माण कार्य	4834.44	9.61	5618.00	11.19	5261.59	10.24
10.	निवेश	302.80	0.60	271.38	0.54	288.12	0.56
11.	ऋण	11461.16	22.78	5687.38	11.33	5439.39	10.59
12.	उपदान	1240.63	2.47	1081.12	2.15	1256.84	2.45
ख.	स्थापना सम्बन्धित	450.03	0.89	502.24	1.00	511.04	0.99
	(क) यात्रा व्यय	30.59	0.06	45.12	0.09	47.75	0.09
	(ख) कार्यालय व्यय	191.68	0.38	187.18	0.37	180.96	0.35
	(ग) मोटर वाहन (बाह्य स्त्रोत वाहन/पैट्रोल/मुरम्मत)	44.64	0.09	49.43	0.10	63.19	0.12
	(घ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	150.70	0.30	186.12	0.37	185.24	0.36
	(ङ) वर्दियाँ	3.64	0.01	3.81	0.01	3.69	0.01
	(च) किराया, कर एवं उपकर	28.25	0.06	28.97	0.06	28.63	0.06
	(छ) स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.53	0.00	1.61	0.00	1.58	0.00
ग.	अन्य	4120.05	8.19	4532.94	9.03	4584.34	8.93
	योग (क+ ख+ग):	50305.30	100.00	50191.63	100.00	51364.76	100.00

तालिका-IV

V. विकासात्मक बजट का सैकटोरल विभाजन		(₹ करोड़ों में) 2022-23
1.	विद्युत	755.25
2.	सड़क, परिवहन एवं नागरिक उद्ययन	2747.27
3.	सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण	310.45
4.	जलापूर्ति	629.10
5.	प्रारम्भिक शिक्षा	217.76
6.	उच्च शिक्षा	250.21
7.	स्वास्थ्य व आयुर्वेद	356.33
8.	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	907.82
9.	ग्रामीण विकास	267.14
10.	अन्य	3082.50
	योग:	9523.82

तालिका-V

VI. राज्य सरकार के ऋण दायित्व

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	आन्तरिक ऋण*	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	कुल लोक ऋण	जी०आई०एस० / जी०पी०एफ० इत्यादि	अंशदान पैशन योजना	अन्य दायित्व***	कुल दायित्व
2010–11	17533.13	959.65	18492.78	6102.36	183.17	182.54	24960.85
2011–12	18428.24	947.16	19375.40	6737.90	238.27	142.50	26494.07
2012–13	19624.27	1018.37	20642.64	7849.64	88.51	126.50	28707.29
2013–14	21647.06	1012.42	22659.48	8736.31	46.77	0.00	31442.56
2014–15	24127.33	1070.73	25198.06	9921.47	32.07	0.00	35151.60
2015–16	26860.87	1058.69	27919.56	10639.90	8.36	0.00	38567.82
2016–17	31493.97	1076.30	32570.27	11844.41	8.05	0.00	44422.72
2017–18	33591.41	1079.30	34670.71	13236.38	−0.89	0.00	47906.21
2018–19	35363.12	1061.64	36424.77	14349.53	−1.41	0.00	50772.88
2019–20	39527.72	1043.69	40571.41	15537.13	−1.64	0.00	56106.90
2020–21	42918.16	1544.41**	44462.57	16522.64	7.66	0.00	60992.87

* इन आंकड़ों में एस०एल०आर० उधार, लघु बचतें, नाबार्ड, हुड़को, एन०सी०डी०सी० इत्यादि से लिए गए ऋण और नॉन-एस०एल०आर० उधार सम्मिलित हैं।

** इन आंकड़ों में पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण शामिल है, लेकिन जी०एस०टी० उपकर की क्षतिपूर्ति के बदले **back to back** ऋण शामिल नहीं है।

*** राज्य सरकार के उपकरमों द्वारा लिए गए ऋण का दायित्व है।

VI. राज्य सरकार के ऋण दायित्वों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:-

(क) आन्तरिक ऋण

आन्तरिक दायित्वों में एस०एल०आर० उधार, लघु बचतें, हुड़को, नाबार्ड, एन०सी०डी०सी० इत्यादि से लिए गए ऋण और नॉन-एस०एल०आर० उधार सम्मिलित हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले ऋण

ये ऋण होते हैं:-

- (i) विकासात्मक योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण भाग के रूप में।
- (ii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत ऋण भाग।

(ग) लोक लेखा के दायित्व

इसमें कर्मचारियों का भविष्य निधि अग्रिम, सामूहिक बीमा स्कीम, आरक्षित निधि तथा बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां आदि देनदारियां सम्मिलित हैं। यह राशि राज्य सरकार के पास लोक लेखा में रखी जाती है। चूंकि यह धन राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु उपयोग में लाया जाता है तथा इस राशि पर ब्याज की अदायगी भी की जाती है, इसलिए इसे ऋण माना जाता है।

(घ) अन्य ऋण दायित्व

इसमें राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के दायित्व सम्मिलित हैं।

तालिका-VI

VII. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्र0 सं0	बोर्ड/निगम का नाम	31.03.2021 को गारण्टी की अधिकतम राशि	31.03.2021 को गारण्टी दी गई राशि और शेष	जोखिम भरी राशि
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1400.67	1250.90	624.95
2.	हिमाचल पथ परिवहन निमग	308.02	102.56	102.56
3.	हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम	—	—	—
4.	अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम	—	7.53	5.65
5.	दुर्घट संगठन	—	4.03	3.03
6.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड	—	4.67	3.50
7.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम	—	7.00	5.25
8.	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	—	—	—
9.	पिछड़ी जाति वित्त विकास निगम	30.00	7.16	5.37
10.	हिमाचल प्रदेश अधोसंचना विकास बोर्ड	—	17.38	—
11.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम	10.00	10.00	7.05
12.	हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम	—	8.00	0.60
13.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन	200.00	440.00	—
14.	हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण	—	29.91	—
योग (क):		1948.69	1889.14	757.96
1.	सहकारिता विभाग (ख):	350.00	252.62	189.46
कुल योग (क+ख)		2298.69	2141.76	947.42

VII. Statement Showing Distribution by Demands for grants of Expenditure Showing Head of Account in the Budget of State Government for 2022 - 2023

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
REVENUE ACCOUNT	4345510.60	317630.41	4027880.19
A-GENERAL SERVICES	1662323.01	37812.19	1624510.82
(a) Organs of State	41114.78	0.00	41114.78
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	4385.47	0.00	4385.47
PARLIAMENT/STATE/UNION TERRORY LEGISLATURES			
01-विधान सभा	4385.47	0.00	4385.47
VIDHAN SABHA			
2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति / राज्यपाल, संघ क्षेत्र के प्रशासक	922.38	0.00	922.38
PRESIDENT, VICE-PRESIDENT/GOVERNOR, ADMINISTRATOR OF UNION TERRITORIES.			
02-राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद	922.38	0.00	922.38
GOVERNOR AND COUNCIL OF MINISTERS			
2013-मन्त्रिपरिषद	1541.51	0.00	1541.51
COUNCIL OF MINISTERS			
02-राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद	1541.51	0.00	1541.51
GOVERNOR AND COUNCIL OF MINISTERS			
2014-न्याय प्रशासन	25732.73	0.00	25732.73
ADMINISTRATION OF JUSTICE			
03-न्याय प्रशासन।	25358.14	0.00	25358.14
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	374.59	0.00	374.59
ADMINISTRATION OF JUSTICE			
2015-निर्वाचन	8532.69	0.00	8532.69
ELECTIONS			
17-निर्वाचन	8352.63	0.00	8352.63
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	180.06	0.00	180.06
ELECTION			
(b) Fiscal Services	31482.02	0.00	31482.02
2029-भू-राजस्व	20335.24	0.00	20335.24
LAND REVENUE			
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	19619.78	0.00	19619.78
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	715.46	0.00	715.46
LAND REVENUE AND DISTRICT ADMINISTRATION			
2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण	459.37	0.00	459.37
STAMPS AND REGISTRATION			
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	454.56	0.00	454.56
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	4.81	0.00	4.81
LAND REVENUE AND DISTRICT ADMINISTRATION			
2039-राज्य उत्पाद शुल्क	1100.63	0.00	1100.63
STATE EXCISE			
06-आवकारी और कराधान	1100.63	0.00	1100.63
EXCISE AND TAXATION			
2040-विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर	2040.76	0.00	2040.76
TAXES ON SALES,TRADE ETC.			
06-आवकारी और कराधान	2040.76	0.00	2040.76
EXCISE AND TAXATION			

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
2041-वाहनों पर कर	1032.31	0.00	1032.31
TAXES ON VEHICLES			
25-मङ्क और जल परिवहन	1032.31	0.00	1032.31
ROAD AND WATER TRANSPORT			
2043-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	129.00	0.00	129.00
Collection Charges Under State Goods and Services Tax			
06-आवकारी और कराधान	129.00	0.00	129.00
EXCISE AND TAXATION			
2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	6228.23	0.00	6228.23
OTHER TAXES AND DUTIES ON COMMODITIES AND SERVICES			
06-आवकारी और कराधान	5892.13	0.00	5892.13
23-विद्युत विकास	214.46	0.00	214.46
31-जनजातीय धेत्र विकास कार्यक्रम	121.64	0.00	121.64
EXCISE AND TAXATION			
2047-अन्य राजकोपीय सेवाएं	156.48	0.00	156.48
OTHER FISCAL SERVICES			
29-वित्त	141.17	0.00	141.17
31-जनजातीय धेत्र विकास कार्यक्रम	15.31	0.00	15.31
FINANCE			
(c) Interest Payment and Servicing of Debt	510466.01	0.00	510466.01
2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग	2.00	0.00	2.00
APPROPRIATION FOR REDUCTION OR AVOIDANCE OF DEBT			
29-वित्त	2.00	0.00	2.00
FINANCE			
2049-ब्याज अदायगी	510464.01	0.00	510464.01
INTEREST PAYMENTS			
29-वित्त	510464.01	0.00	510464.01
FINANCE			
(d) Administrative Services	297424.10	37812.19	259611.91
2051-लोक सेवा आयोग	2315.00	0.00	2315.00
PUBLIC SERVICE COMMISSION			
04-सामान्य प्रशासन	2315.00	0.00	2315.00
GENERAL ADMINISTRATION			
2052-मन्त्रिवालय- सामान्य सेवाएँ	10099.91	0.00	10099.91
SECRETARIAT-GENERAL SERVICES			
04-सामान्य प्रशासन	10099.91	0.00	10099.91
GENERAL ADMINISTRATION			
2053-जिला प्रशासन	23103.41	0.00	23103.41
DISTRICT ADMINISTRATION			
04-सामान्य प्रशासन	50.01	0.00	50.01
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	19588.09	0.00	19588.09
31-जनजातीय धेत्र विकास कार्यक्रम	3465.31	0.00	3465.31
GENERAL ADMINISTRATION			
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	8256.03	0.00	8256.03
TREASURY AND ACCOUNTS ADMINISTRATION			
29-वित्त	7206.25	0.00	7206.25
31-जनजातीय धेत्र विकास कार्यक्रम	596.78	0.00	596.78

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	453.00	0.00	453.00
FINANCE			
2055-पुलिस	152300.02	0.00	152300.02
POLICE			
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	184.61	0.00	184.61
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	144019.62	0.00	144019.62
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	7959.79	0.00	7959.79
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	136.00	0.00	136.00
LAND REVENUE AND DISTRICT ADMINISTRATION			
2056-जेल	4181.88	0.00	4181.88
JAILS			
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	4181.75	0.00	4181.75
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.13	0.00	0.13
POLICE AND ALLIED ORGANISATIONS			
2057-पूर्ति तथा निपटान	180.69	0.00	180.69
SUPPLIES AND DISPOSALS			
18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना एवं प्रोद्योगिकि	180.69	0.00	180.69
INDUSTRIES, MINERALS, SUPPLIES AND INFORMATION TECHNOLOGY			
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2626.21	0.00	2626.21
STATIONERY AND PRINTING			
24-मुद्रण और लेखन सामग्री	2626.21	0.00	2626.21
PRINTING AND STATIONERY			
2059-लोक निर्माण कार्य	79023.18	37812.19	41210.99
PUBLIC WORKS			
03-न्याय प्रशासन	126.78	0.00	126.78
04-सामान्य प्रशासन	555.31	0.00	555.31
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	214.92	0.00	214.92
06-आवकारी और कराधान	1.93	0.00	1.93
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	409.39	0.00	409.39
08-शिक्षा	1576.05	0.00	1576.05
09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2516.24	0.00	2516.24
10-लोक निर्माण-मड़क, पुल तथा भवन	65811.51	34293.78	31517.73
11-कृषि	0.01	0.00	0.01
12-उद्यान	11.43	0.00	11.43
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	97.04	0.00	97.04
14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	88.75	0.00	88.75
16-बन और बन्ध जीवन	58.22	0.00	58.22
17-निवाचन	0.01	0.00	0.01
18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना एवं प्रोद्योगिकि	52.51	0.00	52.51
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।	109.01	0.00	109.01
21-सहकारिता	0.01	0.00	0.01
22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2.63	0.00	2.63
24-मुद्रण और लेखन सामग्री	0.01	0.00	0.01
25-मड़क और जल परिवहन	0.02	0.00	0.02
26-पर्यटन और नागर विमानन	0.01	0.00	0.01
27-त्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	57.77	0.00	57.77
28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	40.00	0.00	40.00
29-वित्त	0.03	0.00	0.03
30-विविध सामान्य सेवाएँ	12.34	0.00	12.34
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	6168.85	3518.41	2650.44

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	1112.40	0.00	1112.40
ADMINISTRATION OF JUSTICE			
2062-सतर्कता	4066.11	0.00	4066.11
VIGILANCE			
03-न्याय प्रशासन।	282.83	0.00	282.83
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	3585.47	0.00	3585.47
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	197.81	0.00	197.81
ADMINISTRATION OF JUSTICE			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	11271.66	0.00	11271.66
OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES			
03-न्याय प्रशासन।	129.29	0.00	129.29
04-सामान्य प्रशासन	516.42	0.00	516.42
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	9012.76	0.00	9012.76
17-निर्वाचन	0.06	0.00	0.06
29-वित्त	68.13	0.00	68.13
30-विविध सामान्य सेवाएं	1139.01	0.00	1139.01
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	405.99	0.00	405.99
ADMINISTRATION OF JUSTICE			
(e) Pension and Miscellaneous General Services	781836.10	0.00	781836.10
2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ	779020.01	0.00	779020.01
PENSIONS AND OTHER RETIREMENT BENEFITS			
29-वित्त	779020.01	0.00	779020.01
FINANCE			
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2816.09	0.00	2816.09
MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES			
04-सामान्य प्रशासन	2816.09	0.00	2816.09
GENERAL ADMINISTRATION			
B-SOCIAL SERVICES	1734838.17	118669.01	1616169.16
(a) Education, Sports, Art and Culture	838179.87	0.00	838179.87
2202-सामान्य शिक्षा	824985.56	0.00	824985.56
GENERAL EDUCATION			
08-शिक्षा	742977.73	0.00	742977.73
15-योजना तथा पिछळा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1285.50	0.00	1285.50
30-विविध सामान्य सेवाएं	444.96	0.00	444.96
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	38448.77	0.00	38448.77
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	41828.60	0.00	41828.60
EDUCATION			
2203-तकनीकी शिक्षा	8709.87	0.00	8709.87
TECHNICAL EDUCATION			
27-थ्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	8651.62	0.00	8651.62
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3.25	0.00	3.25
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	55.00	0.00	55.00
LABOUR, EMPLOYMENT AND TRAINING			
2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं	2167.92	0.00	2167.92
SPORTS AND YOUTH SERVICES			
30-विविध सामान्य सेवाएं	1965.49	0.00	1965.49
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	187.43	0.00	187.43
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	15.00	0.00	15.00
MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES			

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
2205-कला एवं संस्कृति	2316.52	0.00	2316.52
ART AND CULTURE			
08-शिक्षा	623.59	0.00	623.59
30-विविध सामान्य सेवाएँ	1321.48	0.00	1321.48
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	120.45	0.00	120.45
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	251.00	0.00	251.00
EDUCATION			
(b) Health and Family Welfare	287626.35	0.00	287626.35
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	233153.50	0.00	233153.50
MEDICAL AND PUBLIC HEALTH			
09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	198820.06	0.00	198820.06
15-योजना तथा पिछळा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3415.14	0.00	3415.14
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	8162.96	0.00	8162.96
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	22755.34	0.00	22755.34
HEALTH AND FAMILY WELFARE			
2211-परिवार कल्याण	54472.85	0.00	54472.85
FAMILY WELFARE			
09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	48000.40	0.00	48000.40
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5599.45	0.00	5599.45
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	873.00	0.00	873.00
HEALTH AND FAMILY WELFARE			
(c) Water Supply, Sanitation, Housing & Urban Development	271353.90	71069.00	200284.90
2215-जलापूर्ति तथा सफाई	195169.44	71067.26	124102.18
WATER SUPPLY AND SANITATION			
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	186002.23	67616.92	118385.31
28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	1497.00	0.00	1497.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	6767.21	3450.34	3316.87
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	903.00	0.00	903.00
IRRIGATION, WATER SUPPLY AND SANITATION			
2216-आवास	9045.24	1.74	9043.50
HOUSING			
01-विधान सभा	53.45	0.00	53.45
02-गज्यपाल और मन्त्रिपरिषद	92.34	0.00	92.34
03-न्याय प्रशासन	40.58	0.00	40.58
04-सामान्य प्रशासन	2476.78	0.00	2476.78
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	154.53	0.00	154.53
06-आवासी और कराधान	8.11	0.00	8.11
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	228.53	0.00	228.53
09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	63.18	0.00	63.18
10-लोक निर्माण-मड़क, पुल तथा भवन	1191.60	1.74	1189.86
11-कृषि	14.21	0.00	14.21
12-उद्यान	6.35	0.00	6.35
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	6.08	0.00	6.08
14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	15.70	0.00	15.70
18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना एवं प्रोटोग्राफिकि	4.08	0.00	4.08
20-ग्रामीण विकास	2762.00	0.00	2762.00
24-मुद्रण और लेखन सामग्री	2.32	0.00	2.32
27-थर, रोजगार और प्रयोगशाला	8.80	0.00	8.80
28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	277.90	0.00	277.90
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	474.60	0.00	474.60
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	1164.10	0.00	1164.10
VIDHAN SABHA			

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
2217-शहरी विकास	67139.22	0.00	67139.22
URBAN DEVELOPMENT			
28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	57745.43	0.00	57745.43
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	327.00	0.00	327.00
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	9066.79	0.00	9066.79
URBAN DEVELOPMENT,TOWN AND COUNTRY PLANNING AND HOUSING			
(d) Information and Broadcasting	7101.60	0.00	7101.60
2220-मूलना तथा प्रचार	7101.60	0.00	7101.60
INFORMATION AND PUBLICITY			
30-विविध मामान्य सेवाएँ	6906.70	0.00	6906.70
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	164.90	0.00	164.90
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	30.00	0.00	30.00
MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES			
(e) Welfare of SC, ST, and Other Backward Classes	13913.25	0.00	13913.25
2225-अनु.जाति/ अनु.जनजाति, पिछडे वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	13913.25	0.00	13913.25
WELFARE OF SCHEDULED CASTES,SCHEDULED TRIBES,OTHER BACKWARD CLASSES AND MINORITIES			
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।	3280.54	0.00	3280.54
27-श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	70.00	0.00	70.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	628.78	0.00	628.78
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	9933.93	0.00	9933.93
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
(f) Labour and Labour Welfare	31310.63	0.00	31310.63
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	31310.63	0.00	31310.63
LABOUR, EMPLOYMENT AND SKILL DEVELOPMENT			
20-ग्रामीण विकास	84.16	0.00	84.16
27-श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	23768.22	0.00	23768.22
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2480.26	0.00	2480.26
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	4977.99	0.00	4977.99
RURAL DEVELOPMENT			
(g) Social Welfare and Nutrition	277246.84	47600.01	229646.83
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	174145.82	0.00	174145.82
SOCIAL SECURITY AND WELFARE			
04-सामाजिक प्रशासन	1429.02	0.00	1429.02
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	95.18	0.00	95.18
06-आवाकारी और कराधान	0.01	0.00	0.01
09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	15.79	0.00	15.79
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।	126340.47	0.00	126340.47
25-मटका और जल परिवहन	68.00	0.00	68.00
29-वित्त	1500.00	0.00	1500.00
30-विविध मामान्य सेवाएँ	1.00	0.00	1.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	6632.00	0.00	6632.00
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	38064.35	0.00	38064.35
GENERAL ADMINISTRATION			
2236-पोषण	7901.00	0.00	7901.00
NUTRITION			
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।	5199.00	0.00	5199.00
22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1.00	0.00	1.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	711.00	0.00	711.00
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	1990.00	0.00	1990.00
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
2245-प्राकृतिक विपर्ति के कारण राहत	95200.02	47600.01	47600.01
RELIEF ON ACCOUNT OF NATURAL CALAMITIES			
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	95200.02	47600.01	47600.01
LAND REVENUE AND DISTRICT ADMINISTRATION			
(h) Others	8105.73	0.00	8105.73
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	68.80	0.00	68.80
OTHER SOCIAL SERVICES			
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	0.01	0.00	0.01
30-विविध सामान्य सेवाएं	68.79	0.00	68.79
POLICE AND ALLIED ORGANISATIONS			
2251-मन्त्रिवालय- सामाजिक सेवाएं	8036.93	0.00	8036.93
SECRETARIAT-SOCIAL SERVICES			
04-सामान्य प्रशासन	1507.51	0.00	1507.51
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	6529.42	0.00	6529.42
GENERAL ADMINISTRATION			
C-ECONOMIC SERVICES	947286.09	161149.21	786136.88
(a) Agriculture and Allied Activities	276826.18	14001.50	262824.68
2401-फसल कृषि-कर्म	74687.96	0.00	74687.96
CROP HUSBANDRY			
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	60.00	0.00	60.00
11-कृषि	25369.45	0.00	25369.45
12-उद्यान	30007.21	0.00	30007.21
15-योजना तथा पिछळा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	352.87	0.00	352.87
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	6649.63	0.00	6649.63
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	12248.80	0.00	12248.80
LAND REVENUE AND DISTRICT ADMINISTRATION			
2402-भू तथा जल संरक्षण	10723.10	0.00	10723.10
SOIL AND WATER CONSERVATION			
11-कृषि	6565.05	0.00	6565.05
15-योजना तथा पिछळा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	75.88	0.00	75.88
16-बन और बन्ध जीवन	665.33	0.00	665.33
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1179.84	0.00	1179.84
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	2237.00	0.00	2237.00
AGRICULTURE			
2403-पशुपालन	42330.74	0.00	42330.74
ANIMAL HUSBANDRY			
14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	37061.44	0.00	37061.44
15-योजना तथा पिछळा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	115.40	0.00	115.40
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3528.24	0.00	3528.24
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	1625.66	0.00	1625.66
ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND FISHERIES			
2404-दुग्ध विकास	3098.46	0.00	3098.46
DAIRY DEVELOPMENT			
14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	2045.46	0.00	2045.46
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	282.00	0.00	282.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	771.00	0.00	771.00
ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND FISHERIES			
2405-मछली पालन	3172.82	0.00	3172.82
FISHERIES			
14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	2640.33	0.00	2640.33
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	212.49	0.00	212.49

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	320.00	0.00	320.00
ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND FISHERIES			
2406-वानिकी तथा बन्य जीवन	88444.85	14001.50	74443.35
FORESTRY AND WILD LIFE			
15-योजना तथा प्रिलेड धेन विकास कार्यक्रम	594.59	0.00	594.59
16-बन और बन्य जीवन	75339.25	14001.50	61337.75
31-जनजातीय धेन विकास कार्यक्रम	4227.36	0.00	4227.36
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	8283.65	0.00	8283.65
PLANNING AND BACKWARD AREA DEVELOPMENT PROGRAMME			
2407-द्वागत	101.37	0.00	101.37
PLANTATIONS			
11-कृषि	97.37	0.00	97.37
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	4.00	0.00	4.00
AGRICULTURE			
2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार	26046.18	0.00	26046.18
FOOD STORAGE AND WAREHOUSING			
22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	17276.14	0.00	17276.14
31-जनजातीय धेन विकास कार्यक्रम	2434.04	0.00	2434.04
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	6336.00	0.00	6336.00
FOOD AND CIVIL SUPPLIES			
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	24340.65	0.00	24340.65
AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION			
11-कृषि	8361.06	0.00	8361.06
12-उद्यान	7601.07	0.00	7601.07
16-बन और बन्य जीवन	7.00	0.00	7.00
31-जनजातीय धेन विकास कार्यक्रम	2261.56	0.00	2261.56
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	6109.96	0.00	6109.96
AGRICULTURE			
2425-सहकारिता	3877.05	0.00	3877.05
CO-OPERATION			
21-सहकारिता	3674.48	0.00	3674.48
31-जनजातीय धेन विकास कार्यक्रम	175.57	0.00	175.57
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	27.00	0.00	27.00
COOPERATION			
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	3.00	0.00	3.00
OTHER AGRICULTURAL PROGRAMMES			
11-कृषि	1.00	0.00	1.00
31-जनजातीय धेन विकास कार्यक्रम	1.00	0.00	1.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	1.00	0.00	1.00
AGRICULTURE			
(b) Rural Development	159388.63	0.00	159388.63
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	18061.01	0.00	18061.01
SPECIAL PROGRAMMES FOR RURAL DEVELOPMENT			
20-ग्रामीण विकास	11396.01	0.00	11396.01
23-विद्युत विकास	575.00	0.00	575.00
31-जनजातीय धेन विकास कार्यक्रम	1741.00	0.00	1741.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	4349.00	0.00	4349.00
RURAL DEVELOPMENT			

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम GENERAL ADMINISTRATION	257.00	0.00	257.00
3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण ECOLOGY AND ENVIRONMENT	124.00	0.00	124.00
04-सामान्य प्रशासन GENERAL ADMINISTRATION	124.00	0.00	124.00
(j) General Economic Services	11817.91	0.00	11817.91
3451-मञ्चिवालय आर्थिक सेवाएं SECRETARIAT- ECONOMIC SERVICES	6369.07	0.00	6369.07
04-सामान्य प्रशासन	2212.07	0.00	2212.07
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2157.00	0.00	2157.00
29-वित्त GENERAL ADMINISTRATION	2000.00	0.00	2000.00
3452-पर्यटन TOURISM	2042.24	0.00	2042.24
26-पर्यटन और नागर विमानन	1850.36	0.00	1850.36
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	115.88	0.00	115.88
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम TOURISM AND CIVIL AVIATION	76.00	0.00	76.00
3454-जनणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी CENSUS SURVEYS AND STATISTICS	1433.82	0.00	1433.82
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	56.14	0.00	56.14
29-वित्त	1321.10	0.00	1321.10
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम LAND REVENUE AND DISTRICT ADMINISTRATION	56.58	0.00	56.58
3456-नागरिक पूर्ति CIVIL SUPPLIES	1651.12	0.00	1651.12
22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1644.12	0.00	1644.12
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2.00	0.00	2.00
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम FOOD AND CIVIL SUPPLIES	5.00	0.00	5.00
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं OTHER GENERAL ECONOMIC SERVICES	321.66	0.00	321.66
22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	313.28	0.00	313.28
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम FOOD AND CIVIL SUPPLIES	8.38	0.00	8.38
D-GRANT-IN-AID AND CONTRIBUTIONS	1063.33	0.00	1063.33
()	1063.33	0.00	1063.33
3604-स्थां० निकायों/ पंचायती राज संस्थाओं को धाति तथा समनुदेशन COMPENSATIONS AND ASSIGNMENTS TO LOCAL BODIES AND PANCHAYAT RAJ INSTITUTIONS	1063.33	0.00	1063.33
06-आवकारी और कराधान EXCISE AND TAXATION	1063.33	0.00	1063.33
CAPITAL ACCOUNT	1113691.73	5096.05	1108595.68
A-CAPITAL ACCOUNT OF GENERAL SERVICES	17549.82	0.00	17549.82
()	17549.82	0.00	17549.82
4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON POLICE	6961.82	0.00	6961.82
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	4459.82	0.00	4459.82
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	600.00	0.00	600.00

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	1902.00	0.00	1902.00
POLICE AND ALLIED ORGANISATIONS			
4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पुर्जीगत परिव्यय	42.00	0.00	42.00
CAPITAL OUTLAY ON STATIONERY & PRINTING			
24-मुद्रण और लेखन सामग्री	30.00	0.00	30.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	12.00	0.00	12.00
PRINTING AND STATIONERY			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पुर्जीगत परिव्यय	8846.00	0.00	8846.00
CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS			
03-न्याय प्रशासन।	1190.00	0.00	1190.00
04-सामान्य प्रशासन	67.00	0.00	67.00
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	1368.00	0.00	1368.00
06-आवाकारी और कराधान	100.00	0.00	100.00
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	700.00	0.00	700.00
10-लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	2098.00	0.00	2098.00
17-निर्वाचन	75.00	0.00	75.00
30-विविध सामान्य सेवाएँ	20.00	0.00	20.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	802.00	0.00	802.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	2426.00	0.00	2426.00
ADMINISTRATION OF JUSTICE			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पुर्जीगत परिव्यय	1700.00	0.00	1700.00
CAPITAL OUTLAY ON OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES			
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	916.00	0.00	916.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	209.00	0.00	209.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	575.00	0.00	575.00
POLICE AND ALLIED ORGANISATIONS			
B-CAPITAL ACCOUNT OF SOCIAL SERVICES	118127.68	0.00	118127.68
(a) Education,Sports,Atr and Culture	28731.00	0.00	28731.00
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पुर्जीगत परिव्यय	28731.00	0.00	28731.00
CAPITAL OUTLAY ON EDUCATION,SPORTS,ART AND CULTURE			
08-शिक्षा	8738.00	0.00	8738.00
15-योजना तथा पिछ़ड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1850.00	0.00	1850.00
27-श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	6248.00	0.00	6248.00
30-विविध सामान्य सेवाएँ	3780.00	0.00	3780.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1521.00	0.00	1521.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	6594.00	0.00	6594.00
EDUCATION			
(b) Health and Family Welfare	15572.50	0.00	15572.50
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पुर्जीगत परिव्यय	15572.50	0.00	15572.50
CAPITAL OUTLAY ON MEDICAL AND PUBLIC HEALTH			
09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	9042.00	0.00	9042.00
15-योजना तथा पिछ़ड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	985.00	0.00	985.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1727.50	0.00	1727.50
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	3818.00	0.00	3818.00
HEALTH AND FAMILY WELFARE			
(c) Water Supply, Sanitation, Housing & Urban Dev.	72540.18	0.00	72540.18
4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पुर्जीगत परिव्यय	60912.00	0.00	60912.00
CAPITAL OUTLAY ON WATER SUPPLY AND SANITATION			
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	24690.00	0.00	24690.00

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1600.00	0.00	1600.00
28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	13466.00	0.00	13466.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3995.00	0.00	3995.00
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	17161.00	0.00	17161.00
IRRIGATION, WATER SUPPLY AND SANITATION			
4216-आवास पर पुंजीगत परिव्यय	5398.18	0.00	5398.18
CAPITAL OUTLAY ON HOUSING			
04-सामान्य प्रशासन	856.00	0.00	856.00
06-आवासीय और कराधान	300.00	0.00	300.00
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन	528.18	0.00	528.18
10-लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	848.00	0.00	848.00
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	80.00	0.00	80.00
16-वर्त और वन्य जीवन	300.00	0.00	300.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	705.00	0.00	705.00
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	1781.00	0.00	1781.00
GENERAL ADMINISTRATION			
4217-शहरी विकास पर पुंजीगत परिव्यय	6230.00	0.00	6230.00
CAPITAL OUTLAY ON URBAN DEVELOPMENT			
28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	4719.00	0.00	4719.00
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	1511.00	0.00	1511.00
URBAN DEVELOPMENT, TOWN AND COUNTRY PLANNING AND HOUSING			
(d) Information and Broadcasting	96.00	0.00	96.00
4220-मूच्चना तथा प्रचार पर पुंजीगत परिव्यय	96.00	0.00	96.00
CAPITAL OUTLAY ON INFORMATION & PUBLICITY			
30-विविध सामान्य सेवाएँ	76.00	0.00	76.00
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	20.00	0.00	20.00
MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES			
(e) Welfare of SC, ST and Other Backward Classes	710.00	0.00	710.00
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यमंड्यकों के कल्याण पर पुंजीगत परिव्यय	710.00	0.00	710.00
CAPITAL OUTLAY ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES AND MINORITIES			
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।	254.00	0.00	254.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	52.00	0.00	52.00
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	404.00	0.00	404.00
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
(g) Social Welfare and Nutrition	363.00	0.00	363.00
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पुंजीगत परिव्यय	363.00	0.00	363.00
CAPITAL OUTLAY ON SOCIAL SECURITY AND WELFARE			
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।	273.00	0.00	273.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	24.00	0.00	24.00
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	66.00	0.00	66.00
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
(h) Others	115.00	0.00	115.00
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पुंजीगत परिव्यय	115.00	0.00	115.00
CAPITAL OUTLAY ON OTHER SOCIAL SERVICES			
27-श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	103.00	0.00	103.00
32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	12.00	0.00	12.00
LABOUR, EMPLOYMENT AND TRAINING			
C-CAPITAL ACCOUNT OF ECONOMIC SERVICES	434075.14	5096.05	428979.09

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
(a) Capital Account of Agriculture and Allied Services	13127.64	5096.05	8031.59
4401-फसल कृषि कर्म पर पुंजीगत परिव्यय	6649.05	5096.05	1553.00
CAPITAL OUTLAY ON CROP HUSBANDRY			
11-कृषि	5262.95	4502.95	760.00
12-उद्यान	743.10	593.10	150.00
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	150.00	0.00	150.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	103.00	0.00	103.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	390.00	0.00	390.00
AGRICULTURE			
4402-मुदा तथा जल संरक्षण पर पुंजीगत परिव्यय	2255.00	0.00	2255.00
CAPITAL OUTLAY ON SOIL AND WATER CONSERVATION			
11-कृषि	1255.00	0.00	1255.00
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	55.00	0.00	55.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	391.00	0.00	391.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	554.00	0.00	554.00
AGRICULTURE			
4403-पशुपालन पर पुंजीगत परिव्यय	1558.00	0.00	1558.00
CAPITAL OUTLAY ON ANIMAL HUSBANDRY			
14-पशुपालन, दुर्धा विकास एवं मत्स्य	988.00	0.00	988.00
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	55.00	0.00	55.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	137.00	0.00	137.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	378.00	0.00	378.00
ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND FISHERIES			
4405-मछली पालन पर पुंजीगत परिव्यय	412.09	0.00	412.09
CAPITAL OUTLAY ON FISHERIES			
14-पशुपालन, दुर्धा विकास एवं मत्स्य	340.09	0.00	340.09
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	72.00	0.00	72.00
ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND FISHERIES			
4406-वानिकी तथा अन्य प्राणीयों पर पुंजीगत परिव्यय	2217.00	0.00	2217.00
CAPITAL OUTLAY ON FORESTRY AND WILD LIFE			
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	95.00	0.00	95.00
16-बन और बन्य जीवन	722.00	0.00	722.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	400.00	0.00	400.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	1000.00	0.00	1000.00
PLANNING AND BACKWARD AREA DEVELOPMENT PROGRAMME			
4408-बाध भण्डारण तथा भाड़ागार पर पुंजीगत परिव्यय	19.50	0.00	19.50
CAPITAL OUTLAY ON FOOD STORAGE AND WAREHOUSING			
22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2.00	0.00	2.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1.50	0.00	1.50
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	16.00	0.00	16.00
FOOD AND CIVIL SUPPLIES			
4425-सहकारिता पर पुंजीगत परिव्यय	17.00	0.00	17.00
CAPITAL OUTLAY ON CO-OPERATION			
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2.00	0.00	2.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	15.00	0.00	15.00
TRIBAL AREA DEVELOPMENT PROGRAMME			
(b) Capital Account of Rural Development	3278.00	0.00	3278.00

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	3278.00	0.00	3278.00
CAPITAL OUTLAY ON OTHER RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME			
20-ग्रामीण विकास	1485.00	0.00	1485.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1090.00	0.00	1090.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	703.00	0.00	703.00
RURAL DEVELOPMENT			
(d) Capital Account of Irrigation and Flood Control	43313.00	0.00	43313.00
4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1528.00	0.00	1528.00
CAPITAL OUTLAY ON MEDIUM IRRIGATION			
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	736.00	0.00	736.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	792.00	0.00	792.00
IRRIGATION, WATER SUPPLY AND SANITATION			
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	31937.00	0.00	31937.00
CAPITAL OUTLAY ON MINOR IRRIGATION			
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	21690.00	0.00	21690.00
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	60.00	0.00	60.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2272.00	0.00	2272.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	7915.00	0.00	7915.00
IRRIGATION, WATER SUPPLY AND SANITATION			
4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	7506.00	0.00	7506.00
CAPITAL OUTLAY ON COMMAND AREA DEVELOPMENT			
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	5402.00	0.00	5402.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	252.00	0.00	252.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	1852.00	0.00	1852.00
IRRIGATION, WATER SUPPLY AND SANITATION			
4711-बाढ़, नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2342.00	0.00	2342.00
CAPITAL OUTLAY ON FLOOD CONTROL PROJECTS			
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	1199.00	0.00	1199.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	530.00	0.00	530.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	613.00	0.00	613.00
IRRIGATION, WATER SUPPLY AND SANITATION			
(e) Capital Account of Energy	14400.00	0.00	14400.00
4801-विजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	14400.00	0.00	14400.00
CAPITAL OUTLAY ON POWER PROJECTS			
23-विद्युत विकास	7354.00	0.00	7354.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3577.00	0.00	3577.00
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	3469.00	0.00	3469.00
POWER DEVELOPMENT			
(f) Capital Account of Industry & Minerals	4434.50	0.00	4434.50
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	4434.50	0.00	4434.50
CAPITAL OUTLAY ON VILLAGE AND SMALL INDUSTRIES			
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	60.00	0.00	60.00
18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना एवं प्रोश्योगिकि	3275.00	0.00	3275.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	10.50	0.00	10.50
32-अनुमूलिक जाति विकास कार्यक्रम	1089.00	0.00	1089.00
PLANNING AND BACKWARD AREA DEVELOPMENT PROGRAMME			
(g) Capital account of Transport	308910.00	0.00	308910.00

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
5002-भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पुंजीगत परिव्यय	4999.00	0.00	4999.00
CAPITAL OUTLAY ON INDIAN RAILWAYS-COMMERCIAL LINES			
25-सड़क और जल परिवहन	1848.00	0.00	1848.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1000.00	0.00	1000.00
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	2151.00	0.00	2151.00
ROAD AND WATER TRANSPORT			
5053-नागर विमानन पर पुंजीगत परिव्यय	91050.00	0.00	91050.00
CAPITAL OUTLAY ON CIVIL AVIATION			
26-पर्यटन और नागर विमानन	54635.00	0.00	54635.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	8250.00	0.00	8250.00
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	28165.00	0.00	28165.00
TOURISM AND CIVIL AVIATION			
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पुंजीगत परिव्यय	201300.00	0.00	201300.00
CAPITAL OUTLAY ON ROADS AND BRIDGES			
10-लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	126508.00	0.00	126508.00
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	4000.00	0.00	4000.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	20946.00	0.00	20946.00
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	49846.00	0.00	49846.00
PUBLIC WORKS - ROADS, BRIDGES AND BUILDINGS			
5055-सड़क परिवहन पर पुंजीगत परिव्यय	10960.00	0.00	10960.00
CAPITAL OUTLAY ON ROAD TRANSPORT			
25-सड़क और जल परिवहन	7221.00	0.00	7221.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	832.00	0.00	832.00
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	2907.00	0.00	2907.00
ROAD AND WATER TRANSPORT			
5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पुंजी परिव्यय	601.00	0.00	601.00
CAPITAL OUTLAY ON OTHER TRANSPORT SERVICES			
25-सड़क और जल परिवहन	275.00	0.00	275.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	201.00	0.00	201.00
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	125.00	0.00	125.00
ROAD AND WATER TRANSPORT			
(j) Capital Account of General Economic Services	46612.00	0.00	46612.00
5452-प्रवृद्धि पर पुंजीगत परिव्यय	5401.00	0.00	5401.00
CAPITAL OUTLAY ON TOURISM			
26-पर्यटन और नागर विमानन	3491.00	0.00	3491.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	550.00	0.00	550.00
32-अनुमूलित जाति विकास कार्यक्रम	1360.00	0.00	1360.00
TOURISM AND CIVIL AVIATION			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पुंजीगत परिव्यय	41211.00	0.00	41211.00
CAPITAL OUTLAY ON OTHER GENERAL ECONOMIC SERVICES			
15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	40384.00	0.00	40384.00
22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	7.00	0.00	7.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	820.00	0.00	820.00
PLANNING AND BACKWARD AREA DEVELOPMENT PROGRAMME			
E-PUBLIC DEBT	534201.56	0.00	534201.56
()	534201.56	0.00	534201.56

Rs. in Lakhs

Major Head/Demand	Gross Expenditure	Recoveries	Net Expenditure
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	524139.17	0.00	524139.17
INTERNAL DEBT OF STATE GOVERNMENT			
29-वित्त FINANCE	524139.17	0.00	524139.17
6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम LOANS AND ADVANCES FROM CENTRAL GOVERNMENT	10062.39	0.00	10062.39
29-वित्त FINANCE	10062.39	0.00	10062.39
F-LOANS AND ADVANCES	9737.53	0.00	9737.53
()	9737.53	0.00	9737.53
6202-शिशा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज LOANS FOR EDUCATION, SPORTS, ART & CULTURE	0.01	0.00	0.01
08-शिक्षा EDUCATION	0.01	0.00	0.01
6225-अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण LOANS FOR WELFARE OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES AND MINORITIES	3.00	0.00	3.00
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।	1.00	0.00	1.00
32-अनुमूचित जाति विकास कार्यक्रम SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	2.00	0.00	2.00
6401-फसल कृषि कार्य के लिए कर्ज LOANS FOR CROP HUSBANDRY	0.02	0.00	0.02
12-उद्यान HORTICULTURE	0.02	0.00	0.02
6425-महकारिता के लिए कर्ज LOANS FOR CO-OPERATION	1.99	0.00	1.99
21-महकारिता COOPERATION	1.99	0.00	1.99
6801-विज्ञी परियोजनाओं के लिए कर्ज LOANS FOR POWER PROJECTS	8700.00	0.00	8700.00
23-विद्युत विकास	3619.00	0.00	3619.00
31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2890.00	0.00	2890.00
32-अनुमूचित जाति विकास कार्यक्रम POWER DEVELOPMENT	2191.00	0.00	2191.00
7610-सरकारी कर्मचारी आदि को कर्ज LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS , ETC.	1032.51	0.00	1032.51
01-विधान सभा	305.00	0.00	305.00
29-वित्त VIDHAN SABHA	727.51	0.00	727.51
Total	5459202.33	322726.46	5136475.87

CONTENT

1.	Understanding the Budget	34-40
2.	Overall Indicators in Understanding the Budget (Table -I)	41
3.	Analysis of Tax and Non-Tax Revenue (Table-II)	42
4.	Analysis of Expenditure (Table-III)	43
5.	The Sectoral Break up of Developmental Budget (Table-IV)	44
6.	Debt Liabilities of the State Government (Table-V)	45-46
7.	Details of Guarantees extended by the State Government (Table-VI)	47
8.	Statement showing Major Head-wise and Demand wise allocation of Budget.	16-32

UNDERSTANDING THE BUDGET

In accordance with Article 202 of the Constitution of India, every State Government is required to lay before the State Legislature a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for the coming financial year. Conventionally the documents which form part of the budget are the following: -

1. Annual Financial Statement/ Budget
2. Chief Minister's Budget Speech
3. Estimates of Receipts
4. Demands for Grants along with Schedule of New Expenditure
5. Explanatory Memorandum on the Budget
6. Schedule of New Expenditure Appendices
7. Budget in Brief
8. Statement under Fiscal Responsibility & Budget Management (FRBM) Rules, 2005
9. Economic Survey of Himachal Pradesh
10. Report on Government Commercial Undertakings.

2. Annual Financial Statement or "Budget"

The statement of estimated receipts and expenditure in respect of every financial year laid before the State Legislature is called the "**Annual Financial Statement" or "Budget**". The Annual Financial Statement (Budget) gives the statement of estimated receipts and expenditure of the State for the financial year running from 1st April to 31st March. The receipts and expenditure in the Annual Financial Statement are shown Major Head-wise*. Expenditure on the consolidated fund of the State is given demand-wise;** and "voted" and "charged" expenditure are separately shown. The revenue and capital accounts are also separately shown.

*"Major Head" means a Head of Account for the purpose of recording and classifying receipts and disbursements of the State.

**"Demand for Grants" is a proposal made to the Legislature on the recommendations of the Governor for appropriation out of Consolidated Fund of the State for expenditure other than charged.(vide Article 203 of the Constitution).

Article 203 of the Constitution requires that the estimates relating to the expenditure "Charged" upon the Consolidated Fund of the State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, though the Legislature is not prevented from discussing any of these estimates. Expenditure on Governor's Secretariat, High Court and Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly are examples of "Charged" expenditure. Annual Financial Statement shows the receipts and payments of government under the following three parts in which government accounts are kept:

- a) Consolidated Fund
- b) Contingency Fund
- c) Public Account

a) The Consolidated Fund:

All revenues received by the Government, loans raised by it and its receipts from recoveries of loans granted by it, form the Consolidated Fund. All expenditure of the Government is incurred from the Consolidated Fund and no amount can be withdrawn from the Fund without authorization from the Legislative Assembly.

b) The Contingency Fund:

As the name suggests, this fund is placed at the disposal of the Government to enable it to meet any unforeseen expenditure pending authorization from the Legislative Assembly.

c) The Public Account:

Besides the normal receipts and expenditure of the Government which relates to the Consolidated Fund, certain other transactions enter government accounts in respect of which government acts in the nature of a banker such as for transactions relating to provident funds, employees' group insurance and savings funds, other deposits, etc. The money thus received is kept in the Public Account. As the money, generally speaking, does not belong to the government and has to be

paid back some time or the other to the persons and authorities who deposited it, the Legislative Assembly's approval for payment from the Public Account is not required. The amount kept in Public Account is reflected only in the Annual Financial Statement (AFS).

3. Chief Minister's Budget Speech:

The Chief Minister's Budget Speech is a statement on the policies, priorities and on the Budget of the State, for the coming financial year.

4. Estimates of Receipts:

While the Annual Financial Statement gives abstract estimates of receipts and expenditures during the financial year for which the budget is under consideration, the statement of estimates of receipts accompanying the budget document provides details of receipts, department-wise and scheme-wise. The document helps in understanding the nature of the receipts of the State and the nature of change from one year to the next.

5. Sources of State Receipts

The sources of State's income/receipts are 1) State's Tax revenues, 2) State's Non-Tax Revenues, 3) Share in Central Taxes, 4) Finance Commission Transfers, 5) CSS Transfers and 6) Debt. Main sources of State's own **Tax revenue** are Stamp and Registration fee, State Excise, Goods and Service Tax, VAT on items not Subsumed in GST, Taxes on vehicles, Passenger and Goods Tax, Electricity Duty and a few other taxes. Sources of State's own **Non-Tax revenue** are sale of power, dividend, royalty from mines and minerals, income from forest and a few other non-tax resources such as fees for various services. State's income from its tax and non-tax revenues is called "**State's Own Revenue**".

Apart from State's own revenues, the State, on the recommendations of Finance Commission, receives from the Union Government its **Share of Central**

Taxes, Revenue Deficit Grant, Devolutions for State Disaster Relief Fund and Grants for Local Bodies. The State Government also receives Central transfers for **Centrally Sponsored Schemes/Central Sector Schemes (CSS).** Each year, State Government raises **debt**, with the approval of the Union Government, through Reserve Bank of India. However this loan is within the limit fixed by Government of India. This loan forms part of the Consolidated Fund of the State. Reserve Bank of India is the banker of the State Government. State Government, depending on the requirement may also borrow money from the Reserve Bank of India for meeting short term mismatch between receipts and expenditures. Such borrowings are termed as Ways & Means Advance.

6. Demands for Grants along with Schedule of New Expenditure:

A Demand for grant is a proposal made to the Legislature on the recommendations of the Governor, under Article 203, for appropriation out of consolidated fund of the State, for expenditure other than charged expenditure. This is the form, in which estimates of expenditure are included in the Annual Financial Statement and are required to be voted by the State Assembly. The expenditure by all departments in the State being charged to the State budget is included in the document of Demands for Grants. There are 32 Demands for Grants in the budget of Himachal Pradesh. In addition to the statement of demand of funds for particular schemes, each demand for grants also contains a list of sanctioned posts, scheme-wise. The State Government has done away with Plan and Non-Plan classification on the analogy of Central Government from the financial year 2021-22.

7. Supplementary Grants:

The Budget has an estimate of expenditure framed before commencement of the financial year. However, expenditure under any Head of Account may turn out to be more than the originally anticipated expenditure on account of some 'new scheme' not contemplating in the Annual Financial Statement or if the provided budget is found to be insufficient during the course of the year. Such

additional/excess expenditure is presented to the Legislature for approval under Article 205 as Supplementary Demand for Grants.

8. Classification of State's Expenditure

Expenditure is classified either as Revenue Expenditure or as Capital Expenditure.

i. Revenue Expenditure

Revenue expenditure is usually imminent and committed. Large part of the revenue expenditure is incurred on salaries, pensions, interest payments, maintenance and subsidies etc.

ii. Capital Expenditure

Capital Expenditure is incurred for creation of capital assets, Capital Expenditure is also incurred on Centrally Sponsored Schemes.

9. Revenue Surplus/ Deficit

When revenue receipts of the State exceed its revenue expenditure, it is a situation of Revenue Surplus. If Revenue Receipts are less than the Revenue Expenditure, it is a Revenue Deficit situation.

10. Fiscal Surplus/Deficit

When non-debt income of the State is more than the non-debt expenditure, it is a Fiscal Surplus situation. If non-debt income of the State is less than the non-debt expenditure, it is a Fiscal Deficit situation.

11. Explanatory Memorandum on the Budget

The Explanatory Memorandum contains the consolidated information required to assess the financial health of the State. It contains an analysis on various aspects of the budget in a summary manner. **Table-I** contains Revenue and Capital Receipts, Revenue and Capital Expenditure; and Revenue and Fiscal Surplus/Deficit. **Table-II** contains the main components of Own Tax and Non-Tax

Revenues. Analysis of States Own Tax and Non-Tax Revenues are important for understanding the trend growth of various components of these taxes and their share in Tax Revenues. **Table-III** contains Standard Object of Expenditure (S.O.E)*** wise breakup of the expenditure and percentage share of each SOE, **Table-IV** contains sectoral break up of development budget. **Table-V** contains the debt liabilities of the State Government. **Table-VI** contains details of guarantees extended by the State Government to its PSUs.

12. Schedule of New Expenditure:

The document contains list of works to be executed during the financial year. The list of works is given scheme-wise along with initial financial allocation. In the case of continuing schemes, details of estimated costs, year of sanction, etc. are also given.

13. Budget in Brief:

Budget in Brief seeks to explain, in a simple manner, various aspects of the Budget both in figures and in bar charts. Budget in Brief contains details separately for Revenue and Capital Receipts and Expenditure. All data, in this document, is for the actual of the preceding year, budgeted and revised for the current year and budget estimates for the coming year. Similar figures for three years of public debt, per capita revenue and expenditure are also depicted in this document.

14. Statement under Fiscal Responsibility & Budget Management Rules 2005

This is a document presented to the Legislative Assembly under Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2005. This document contains status of compliance under Himachal Pradesh FRBM Act, 2005.

*** *Standard Object of Expenditure (SOE) is a classification of aggregate expenditure in all "Major Heads" on items like Salary, Wages, Pension, Interest, Major Works, Minor Works and Publications etc.*

Besides, it also provides information in Four Forms. Form-I: Medium Term Fiscal Plan Statement, Form-2; Accounting Policy and Practices of the State Government, Form-3; Statement of Guarantees on Long Term Liabilities of State Government & Form-4: Detail of Number of Employees. This document provides transparency in fiscal management.

15. Economic Survey of Himachal Pradesh:

Economic Survey contains an elaborate analysis and data concerning the economy of the State, with focus on current financial year. It briefly mentions prevailing National economic scenario. The economic scenario of the State is elaborately analysed, in terms of State Income and Public Finance, Price Movement, Food Grain Production, Water Resource Management, Industries & Mining, Power etc. Presently, Economic Survey is presented to the Vidhan Sabha, one day before the presentation of the Budget.

16. Report on Government Commercial Undertakings:

This document gives a jist of the operations of Public Sector Undertakings in the State along with their latest balance sheets and profit and loss accounts in a summarized format for the year preceding to that for which the budget is being presented. It depicts, in brief, the performance of all the State Public Sector Undertakings.

In Addition the Gender Budget Statement is also being presented alongwith the Budget.

TABLE-I

II. OVERALL INDICATORS IN UNDERSTANDING THE BUDGET				
(₹ in Crore)				
		ACTUALS 2020-21	BUDGET ESTIMATE S 2021-22	BUDGET ESTIMATES 2022-23
A. REVENUE RECEIPTS				
(i) State's Own		10266.27	12035.87	13650.60
(ii) Central Transfers(including Central Taxes of which		19497.72	21223.08	19328.79
(a) Share in Central Taxes		4753.92	5524.16	6778.19
(b) Centre Transfers		14743.80	15698.92	12550.60
(iii) CSS Grants (excluding CSS loans		3674.29	3768.99	3395.92
TOTAL REVENUE RECEIPTS		33438.27	37027.94	36375.31
B. REVENUE EXPENDITURE				
(i)Revenue Expenditure <i>of which</i>		33534.93	38490.88	40278.80
CSS		2213.11	2576.30	2609.04
TOTAL REVENUE EXPENDITURE		33534.93	38490.88	40278.80
NET (Revenue Surplus/ Deficit) *		-96.66	-1462.94	-3903.49
C. CAPITAL RECEIPTS				
(i) Total Borrowings (excluding W&M/ overdraft but includes net PFreeceipts).		9990.24	11080.51	11880.02
(ii) Recovery of Loans		23.02	41.06	45.09
(iii) Misc. Capital Receipts		2.88	0.00	0.00
TOTAL CAPITAL RECEIPTS		10016.14	11121.57	11925.10
D. CAPITAL EXPENDITURE				
(i) Repayment of loans (excluding W&M)		3396.57	3333.51	3342.02
(ii) CSS		1751.78	1192.73	787.64
(iii) Others		3877.55	5174.51	4956.30
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE		9025.89	9700.75	9085.96
Fiscal Surplus/ Deficit*		-5700.09	-7789.12	-9602.35

*Surplus (+)/Deficit (-)

Table-II

III. ANALYSIS OF OWN TAX AND NON-TAX REVENUE						
Components of State's Own Tax Revenue						
	Actuals 2020-21	%age to Total Tax Revenue	Budget Estimates 2021-22	%age to Total Tax Revenue	Budget Estimates 2022-23	(₹ in crore)
State Goods and Services Tax	3466.58	42.89	4141.66	44.62	5129.79	47.14
Land Revenue	6.95	0.09	22.65	0.24	23.06	0.21
Stamp & Registration	253.36	3.13	310.59	3.35	399.25	3.67
State Excise	1599.74	19.79	1867.90	20.12	2130.96	19.58
VAT	1630.11	20.17	1643.47	17.71	1810.00	16.63
Taxes on Vehicles	380.20	4.70	487.72	5.25	512.11	4.71
Passenger's & Goods Tax	83.55	1.03	88.38	0.95	112.69	1.04
Electricity Duty	401.76	4.97	431.02	4.64	403.33	3.71
Other Taxes	261.07	3.23	288.84	3.11	360.20	3.31
Total Tax Revenue	8083.31	100.00	9282.22	100.00	10881.39	100.00
Components of State's Own Non-Tax Revenue						
	Actuals 2020-21	%age to Total	Budget Estimates 2021-22	%age to Total	Budget Estimates 2022-23	(₹ in crore)
Power	749.12	34.32	1017.00	36.93	1165.83	42.10
Forests	49.56	2.27	90.30	3.28	94.82	3.42
Mines & Minerals	252.16	11.55	218.14	7.92	240.80	8.70
Others	1132.11	51.86	1428.20	51.87	1267.76	45.78
Total Non-Tax Rev.	2182.95	100.00	2753.65	100.00	2769.21	100.00

Table-III

IV. ANALYSIS OF EXPENDITURE							
S.O.E WISE EXPENDITURE AS PERCENTAGE TO TOTAL							
(Rs in crore)							
		Actuals 2020-21	%age to Total	Budget Estimates 2021-22	%age to Total	Budget Estimates 2022-23	%age to Total
A.	SOE- Wise Details	45735.22	90.92	45156.45	89.97	46269.38	90.08
1.	Salaries	10390.57	20.66	12704.14	25.31	13297.03	25.89
2.	Wages	252.93	0.50	212.31	0.42	205.80	0.40
3.	Grants-in-Aid (Salary)	1507.74	3.00	1486.66	2.96	1661.17	3.23
4.	Grants-in-Aid (Non salary)	2015.70	4.01	2020.83	4.03	2068.84	4.03
5.	Grants-in-Aid for Capital Assets	1039.67	2.07	805.71	1.61	886.16	1.73
6.	Pensions	6088.39	12.10	7082.00	14.11	7790.20	15.17
7.	Interest	4472.45	8.89	5017.57	10.00	5104.64	9.94
8.	Maintenance	2128.75	4.23	3169.36	6.31	3009.59	5.86
9.	Major Works	4834.44	9.61	5618.00	11.19	5261.59	10.24
10.	Investments	302.80	0.60	271.38	0.54	288.12	0.56
11.	Loans	11461.16	22.78	5687.38	11.33	5439.39	10.59
12.	Subsidy	1240.63	2.47	1081.12	2.15	1256.84	2.45
B.	Establishment related	450.03	0.89	502.24	1.00	511.04	0.99
a)	TravelExpenses	30.59	0.06	45.12	0.09	47.75	0.09
b)	OfficeExpenses	191.68	0.38	187.18	0.37	180.96	0.35
c)	Motor Vehicles (Outsourced Vehicles/POL/Repairs)	44.64	0.09	49.43	0.10	63.19	0.12
d)	M.R.	150.70	0.30	186.12	0.37	185.24	0.36
e)	Liveries	3.64	0.01	3.81	0.01	3.69	0.01
f)	Rent Rates & Taxes	28.25	0.06	28.97	0.06	28.63	0.06
g)	TransferExpenses	0.53	0.00	1.61	0.00	1.58	0.00
C.	OTHERS	4120.05	8.19	4532.94	9.03	4584.34	8.93
	TOTAL A+B+C	50305.30	100.00	50191.63	100.00	51364.76	100.00

Table-IV

V. THE SECTORAL BREAK-UP OF DEVELOPMENT BUDGET		(₹ in crore) 2022-23
1.	POWER	755.25
2.	ROADS, TRANSPORT AND CIVIL AVIATION	2747.27
3.	IRRIGATION AND FLOOD CONTROL	310.45
4.	WATER SUPPLY	629.10
5.	ELEMENTARY EDUCATION	217.76
6.	HIGHER EDUCATION	250.21
7.	HEALTH & AYURVEDA	356.33
8.	AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES	907.82
9.	RURAL DEVELOPMENT	267.14
10.	OTHERS	3082.50
	TOTAL	9523.82

VI. EXPLANATORY NOTE ON DEBT LIABILITIES OF THE STATE GOVERNMENT

The Debt liabilities of the State Government comprises of the following broad categories:

- i) **Internal Debt:** Internal Debt includes loans taken from market as SLR Borrowings, Small Savings, NABARD, NCDC etc. and Non-SLR Borrowings.
- ii) **Loans from the Central Government:** These consist of (a) loan component of annual central plan assistance, (b) loan component under various centrally sponsored schemes.
- iii) **Liabilities on the Public Account:** These include the liabilities outstanding on account of GPF advance of employees and Group Insurance Scheme collection. This is money kept in trust with the State Government in the Public Account. In strict definition, these are trust funds and not debt. However, since the State Government uses these funds and bears the interest on them and has to repay the same, it is appropriate to categorize them as debt also.
- iv) **Other Debt liabilities:** These include liabilities of PSU's owned by the State Government.

